न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 97/2013/अपील

देवाराम पुत्र स्व0 सुवाराम जाति कुमावत निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट्

बनाम

1. तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर
2. महावीर प्रसाद पुत्र रूड़ाराम जाति कुमावत निवासी धोला की ढ़ाणी तन पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.10.2013 मु.न. 24/13 अनुवानी सरकार बनाम देवाराम द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री सुरेश कुमार
वकील रेस्पोडेंट श्री प्रभातीलाल

निर्णय **दिनांकः—25.10.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी के कब्जे शुदा आवासीय भूखण्ड जिस पर अपीलार्थी 20 वर्षो से निर्बाध रूप से काबिज है तथा उक्त आवासीय भूखण्ड ग्राम पंचायत पचार की आबादी भूमि में है। जिसका उपयोग अपीलार्थी पिछले 20 वर्षो से अपने निवास करने तथा पशुओं को रखने के लिए कर रहा है। उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 217.77 वर्गगज है। तथा जिसकी चुतर्थ सीमाए निम्न प्रकार हैः—उत्तर में—कृषि भूमि दीगर, दक्षिण में—आम सड़क,पूरब में—ग्राम पंचायत की आबादी भूमि व पश्चिम में—चोखाराम पुत्र लादूराम कुम्हार का पट्टा शुदा भूखण्ड अवस्थित है। अपीलार्थी गरीब व्यक्ति है तथा पशुपालन करके अपना परिवार पालता है। प्रार्थी के विरूद्ध गलतरूप से ग्राम के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत शिकायत तहसीलदार दांतारामगढ को की गई, जिन्होने हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया परन्तु हल्का पटवारी ने स्पष्ट रूप से रिपोर्ट नही देकर शिकायतकर्ता से मिलकर तथा उनके बताये अनुसार प्रार्थी को आम रास्ते की भूमि ख0नं0 2040 में अतिक्रमी बताकर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की गई। तहसीलदार ने मनमर्जीपूर्ण कार्यवाही करते हुए न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए विधिविरूद्ध प्रक्रिया अपनाकर गलतरूप से आदेश दिनांक 28.10.2013 को पारित कर दिया एवं हल्का पटवारी को अपीलार्थी से जुर्माना राशि वसुल करने के लिए आदेश दे दिया। हल्का पटवारी ने अपने द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी को आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमी नही माना परन्तु जानबुझकर पृथक से रिपार्ट बनाकर ख0नं0 2040 में 0.01 हैक्टयर भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण की सुनवाई में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लघंन किया है। पत्रावली में दिनांक 11.10.2013 को प्रथम बार बहस हेतु नियत की गई थी तथा दिनांक 11.10.2013 को पी ओ साहब के दोरे पर होने के कारण पत्रावली को दिनांक 18.10.2013 को पेश होने के

लिए नियत किया गया। दिनांक 18.10.2013 को वकील प्रार्थी अर्थात सरकारी वकील ने बहस हेतु अवसर चाहा, जबकि अपीलार्थी के वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया परन्तु न्यायालय ने सरकारी वकील के निवेदन को स्वीकार कर पत्रावली दिनांक 28.10.2013 को बहस हेतु नियत की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 28.10.2013 को बहस हेतु नियत होने पर अपीलार्थी अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में बहस हेतु उपस्थित हुआ तो न्यायालय के रीडर ने बताया कि साहब चुनावी कार्यों में व्यस्त है तथा पत्रावली में कोई तारीख पेशी नियत नही की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही देकर आगे की तारीख में उक्त पत्रावली में निर्णय हेतु पेश होने बाबत अंकित कर निर्णय पारित कर दिया जिस कारण प्रार्थी अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहा। प्रार्थी अपने आवासीय भूखण्ड पर पिछले 20 वर्षो से ग्राम पंचायत की भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है। तथा उसने अपने भूखण्ड की तारबंदी भी कर रखी है। अपीलार्थी काफी वर्षो से कब्जा शुदा भूखण्ड पर काबिज है। इस प्रकार समस्त जांच में यह कही भी नही पाया गया कि अपीलार्थी आम रास्ते की भूमि पर कब्जा कर रखा हो परन्तु शिकायतकर्ता ने हल्का पटवारी से मिलकर जानबुझकर अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह किया जाकर आदेश पारित करवाया गया है जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 24/13 में दिनांक 28.10.2013 को पारित आदेश अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित किया है कि "पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक पुनः अवलोकन किया गया पत्रावली में गै.मु.रास्ता पर अप्रार्थी द्वारा छड़िया, टिनशेड व पशु बांधकर कूड़ा कचरा डालकर अतिक्रमण कर लिया है जो प्रथम दृष्ट्या साबित होता है। अप्रार्थी के वकील ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर पर अप्रार्थी का अतिक्रमण नहीं है। अप्रार्थी के जवाब में यह अंकन है कि अप्रार्थी का लगभग 20 वर्षो से बाड़ा बनाया हुआ है। अतः पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से यह साबित होता है कि अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2040 कुल रकबा 0.35 है0 में से 0.01 है0 पर छड़िया, टिनशैड व पशु बांधकर कूड़ा कचरा डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतः हल्का पटवारी को आदेशित किया जाता है कि विवादित खसरा नम्बर 2040 की पैमाईश कर अप्रार्थी का अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमित रकबे से अप्रार्थी को बेदखली के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी पर लगान राशि 15.00 रूपये का 50 गुणा 750 रूपये का जुर्माना/तावान अधिरोपित किया जाता है उक्त राशि वसूल किये जाने के आदेश हल्का पटवारी को दिये जाते है। तावान राशि की मांग कायमी व बेदखली व वसूली हेतु तराले/भू.अ.नि./पटवारी को तहरीर जारी हो।" अपीलार्थी के द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश दांतारामगढ़ के न्यायालय में प्रकरण संख्या 82/2014 की नोटशीट व सलंग्न मौका कमिश्नर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी पेश की, जिसमें अतिक्रमित भूमि के सम्बंध में 'ग्राम पंचायत की भूमि' शब्द लिखा है। उक्त भूमि को खातेदारी भूमि व रास्ते की भूमि के मध्य एक खसरे के रूप में दिखाया है जिसका खसरा नम्बर राजस्व मानचित्र में भी दर्शित नहीं है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को तारीख पेशी बाबत बहस निर्धारित थी, जिसमें निर्णय कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण न होकर सीमाज्ञान उपरांत अतिक्रमण पाये जाने पर बेदखली के रूप में है। साथ ही उक्त निर्णय में शास्ति आरोपण भी कर दी गई है। उपरोक्त विवेचन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड, सीमाज्ञान, अतिक्रमण चिन्हीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2013 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम अतिक्रमण चिन्हित किया जावे, सीमाज्ञान कर अतिक्रमण का होना व स्थान तय किया जावे, साथ ही उक्त स्थान को राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर के रूप में दर्शित/स्पष्ट करावें और अपीलार्थी का पक्ष सुनकर स्पष्ट (Speaking) आदेश प्रसारित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official